mr/ 24/3

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 21 /03/2023

क्रमांक एफः1/1/4/0013/2022/10-1: विभाग के आदेश क्रमांक 2075/226/2022/10-1, दिनांक 05.10.2022 द्वारा श्री सुरेश चन्द्र जादम, परिक्षेत्र अधिकारी, बरमान, सामान्य वनमण्डल नरसिंहपुर को स्थानांतरित कर परिक्षेत्र अधिकारी, बरघाट, सामान्य वनमण्डल दक्षिण सिवनी के पद पर पदस्थ किया गया था।

2/ उक्त आदेश के विरूद्ध श्री सुरेश चन्द्र जादम, वनक्षेत्रपाल द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका क्रमांक 23218/2022 दायर की गई। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14.10.2022 को निर्णय पारित कर निम्न निर्देश दिये गयेः-

Considering the facts and circumstances of the case and also the fact that the petitioner is going to retire on 31-05-2023, this Court deems it appropriate to dispose of the writ petition with a direction to the petitioner to file a certified copy of this order alongwith representation within seven days from today before the respondent No-1, who in turn is directed to dwell upon the same and pass self contained speaking order and communicate the outcome to the petitioner within a period of 30 days.

Till decision on the representation, the petitioner be permitted to continue at the present place of posting, i.e. Forest Range Office Berman, District Narsinghpur.

3/ श्री सुरेश चन्द्र जादम, वनक्षेत्रपाल व्दारा दिनांक 21.10.2022 को प्रस्तुत अभ्यावेदन में निम्न विन्दुओं का उल्लेख कर स्थानांतरण निरस्त करने का अनुरोध किया गया:-

1. यह कि उन्हें शासनादेश दिनांक 5.10.2022 व्दारा परिक्षेत्र बरमान से परिक्षेत्र बरघाट स्थानांतरित कर दिया जो कि उनके गृह जिला देवास से 650 कि.मी. कीं दूरी पर है।
2. यह उनकी सेवा निवृत्ति की तिथि 31.05.2023 होने से उनकी शासकीय सेवा अवधि 7 माह 23 दिवस शेष है। अतः उनका उक्त स्थानांतर, स्थानांतरण नीति की कंडिका -22 में वर्णित प्रावधान के विपरीत है।

4/ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका कमांक 23218/2022 में पारित निर्णय दिनांक 14.10.2022 के परिपालन में श्री सुरेश चन्द्र जादम, वनक्षेत्रपाल द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 21.10.2022 में उल्लेखित बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा विभाग के आदेश कमांक 2075/226/2022/10-1, दिनांक 05.10.2022 द्वारा श्री सुरेश चन्द्र जादम, वनक्षेत्रपाल का परिक्षेत्र अधिकारी, बरमान, सामान्य वनमण्डल नरसिंहपुर से परिक्षेत्र अधिकारी, वरघाट, सामान्य वनमण्डल दक्षिण सिवनी किया गया स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से निरस्त करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(हस्ताक्षर) 21/3/23

(अशोक कुमार)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग
भोपाल दिनांक 21 /03/2023

पत्र क्र. 79 आवक दि. 27/3/2023

स्था - 3

पृ0 कमांक1/1/4/0013/2022/10-1,

प्रतिलिपिः-

(1) रजिस्ट्रार, माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की ओर याचिका कमांक W.P. No. 23218/2022 में दिनांक 14.10.2022 को पारित निर्णय के पालन में सूचनार्थ।
(2) प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।
(3) विशेष सहायक, मान. वनमंत्री जी मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
(4) प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म0 प्र0, भोपाल।
(5) अंपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-।।), भोपाल।
(6) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना एवं प्रौद्योगिकी), सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर बैवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
(7) संबंधित मुख्य वन संरक्षक/वनमण्लाधिकारी...
(8) स्टाफ ऑफीसर, अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, वन विभाग।
(9) संयुक्त संचालक, जनसंपर्क, म.प्र. मंत्रालय भोपाल।
(10) संबंधित ....द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-।।) भोपाल।
(11) गार्ड फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

O/C

(हस्ताक्षर) 21/3/23

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, म0प्र0 भोपाल
पृ. क्रमांक/प्रशा.II/ब.से.कक्ष/1861 भोपाल, दि 28/03/2023
प्रतिलिपि –
1. मुख्य वन संरक्षक सिवनी वृत्त सिवनी म0प्र0
2. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, नरसिंहपुर एवं दक्षिण सिवनी म0प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया आदेश की प्रति संबंधित को वितरित करावें।

(अ.प्र.मु.व.सं. (प्रशा.-II))

Order 2023 H.S. Ahirwar